

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक -ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/एसीपी/A-947/2019/


दिनांक

--आदेश--

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक आदेश एफ 14(1)एफ डी /नियम/2013-II दिनांक 28.06.2013 एव राजस्थान सिविल सेवा (सशोधित वेतन) नियम- 2017 एव वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15 (1) एफ डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एव 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्स द्वितीय के पद की पै मेट्रिक्स लेवल एल-11 उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित नर्स द्वितीय जिन्होंने 09 एव 18 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से पे-मेट्रिक्स लेवल/एसीपी स्वीकृत की जाती है-

क्र.स.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	देय चयनित वेतन /पे मेट्रिक्स पर पूर्ण सेवा अवधि	वर्तमान में प्राप्त कर रहे पे मेट्रिक्स लेवल / ग्रेड पे	देय ग्रेड-पे/पे-मेट्रिक्स लेवल
1	बजरग लाल शर्मा	जयपुर प्रथम	11.08.09	11.08.18 9 वर्ष	L-11	L-12
2	लीलाधर सैनी	जयपुर प्रथम	11.08.09	11.08.18 9 वर्ष	L-11	L-12
3	विनोद कुमार बैरवा	टोक	12.08.09	12.08.18 9 वर्ष	L-11	L-12
4	कमलेश कुमार जीनगर	सिरोही	25.08.09	25.08.18 9 वर्ष	L-11	L-12
5	देवाराम	सिरोही	11.08.09	11.08.18 9 वर्ष	L-11	L-12
6	राजेश वर्मा	वीकानेर	13.08.09	13.08.18 9 वर्ष	L-11	L-12
7	रामकृष्ण सोनी	जयपुर	10.03.92	10.03.19 27 वर्ष	L-13	L-14
8	हेमन्ता कुमार	भरतपुर	11.08.09	11.08.18 9 वर्ष	L-11	L-12
9	मृगी शिंदे	भरतपुर	11.08.09	11.08.18 9 वर्ष	L-11	L-12
10	लक्ष्मीकान्त	भरतपुर	11.08.09	11.08.18 9 वर्ष	L-11	L-12
11	भैवरलाल	सिरोही	11.08.09	11.08.18 9 वर्ष	L-11	L-12
12	अनिल आर्य	अलवर	11.08.09	11.08.18 9 वर्ष	L-11	L-12
13	अनिल कुमार यादव	अलवर	11.08.09	11.08.18 9 वर्ष	L-11	L-12
14	दिनेश कुमार सैनी	जयपुर प्रथम	11.08.09	11.08.18 9 वर्ष	L-11	L-12

नोट:- उक्त कर्मियों में यदि किसी कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी सतान हुई है तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक

14/06/19

क्रमांक -ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/एसीपी/A-947/2019/553

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
2. संबधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. चिकित्सा अधीक्षक, हरिबक्श कावटिया चिकित्सालय, शास्त्री नगर, जयपुर।
4. संबधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
5. संबधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी/पीएचसी।
6. संबधित कर्मचारी द्वारा उसके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
8. आदेश/निजी पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर